न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः–250/21

घमण्डी पुत्र मदनी जाति कोली निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर
—— वादी

बनाम

1. जलदेई पत्नि मोहन जाति कोली निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
2. आशा पुत्री मोहन
3. गुडडी पुत्री मोहन
4. बबीता पुत्री मोहन
5. मीना पुत्री मोहन
6. रामकुमार पुत्र मोहन
7. संजय पुत्र मोहन
8. चम्पा पुत्री दीपचंद
9. केला विधवा पत्नि रूपी
10. रामवीर पुत्र रूपी नाबालिग जरिये नैस्ट फैण्ड माता खुद प्रतिवादी संख्या 9 केला विधवा पत्नि रूपी जाति जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
11. नहनी पुत्री रूपी जाति जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
12. मलूकी पुत्री रूपी जाति जाटव निवासीग्राम फरसो तहसील बयाना

जतियान जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
—— मूल प्रतिवादीगण

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना
—— शोभनार्थ प्रतिवादी

वाद डिवीजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान
टीनैन्सी एक्ट।

निर्णय दिनांकः– 10/4/26

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 वादी

वादी द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि रूपी पुत्र दीपचन्द का स्वर्गवास हो गया है कि जिसने अपने पीछे विधवा पत्नि प्रतिवादी संख्या 9 व छोडे है। जो उसकी छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.15 हैक्टे0, 252 रकवा 1.14, 272 रकवा 0.09, हैक्टे0 किता 3 रकवा 1.38 हैक्टे0 ग्राम फरसो तहसील बयाना में स्थित है कि जिसमें वादी 7/12 हिस्से का, मूल प्रतिवादी आशा 1/140 हिस्से की, मूल प्रतिवादी गुडडी 1/140 हिस्से की, मूल प्रतिवादी चम्पा 1/20 हिस्से की, मूल प्रतिवादी जलदेई 1/140 हिस्से की, मूल प्रतिवादी बबीता 1/140 हिस्से की, मूल प्रतिवादी मीना 1/140 हिस्सें की, मूल

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 19/60 हिस्से के, मूल प्रतिवादी रामकुमार 1/140 हिस्से, मूल प्रतिवादी संजय 1/140 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित आराजी हमारी अविभाजित होल्डिंग है कि जिसका वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है यह हमारी अविभाजित होल्डिंग है वादी व मूल प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है प्रतिवादी संख्या 10 रामवीर नाबालिग है जो अपनी माता श्रीमती केला के संरक्षक में रह रहा है इसलिए यह वाद उसके विरूद्ध उसकी माता के जरिये प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता अलग से प्रस्तुत किये जा रहा है मूल प्रतिवादीगण लठठ व पैसे वाले व्यक्ति है कि जिन्हौने वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना लिया है कि जिनका मुकाबला करने में वादी सक्षम नहीं है मूल प्रतिवादीगण वादी से कुछ दिनो से व्देष रखने लगे है और उसे अनावश्यक रूप से वादग्रस्त आराजी में वादी के निहित हिस्से को जोतने बोने में विघ्न व बाधा उत्पन्न करने लगे है इस पर वादी ने मूल प्रतिवादीगण से दिनांक 23.10.2021 को वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का दर्ज हिस्सो के अनुपात से वाई मीटस एण्ड वाउन्डस विभाजन करने को कहा तो मूल प्रतिवादीगण ने वाहमी तौर परी विभाजन करने से साफ इन्कार हो गये और वादी को यह धमकी दी कि हम अच्छी अच्छी आराजी पर लठठ व पैसे की ताकत से कब्जा करेंगे अगर तुमने रूकावट डाली तो हम किसी लठठ व पैसे वाले व्यक्तियों को रहन व्यय व मुन्तकिल कर देंगे। वादी मूल प्रतिवादीगण के मुकाबले में हर तरह से गरीब व कमजोर व्यक्ति है और मूल प्रतिवादीगण की जोर जबरी का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है अगर मूल प्रतिवादीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी।

अन्त में वादी का वाद मूल प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.15 है0, 252 रकवा 1.14, 272 रकवा 0.09, है0 किता 3 रकवा 1.38 है0 ग्राम फरसो तहसील बयाना का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस विभाजन कराया जाकर वादी का एक कुरा 7/12 हिस्से का अलग से बनाया जाकर वादी के कब्जे व दखल में दिलाया जावें व इसी अनुपात से राज लगान कायम कर अलग से खाता कायम कराया जावें। मूल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.15 है0, 252 रकवा 1.14, 272 रकवा 0.09, है0 किता 3 रकवा 1.38 है0 ग्राम फरसो तहसील बयाना में वादी को उसके हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट नही डाले न किसी को रहन वय मुन्तकिल करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन किया गया।

दावा को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.01.26 से प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बयाना से प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट क्रमांक/LR/26/715 दिनांक 27.03.2026 से पेश की।

हमने एड0 वादी को एकपक्षीय सुना। एड0 वादी ने तहसीलदार बयाना की उक्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन किये जाने बाबत निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बयाना के विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट क्रमांक/LR/26/715 दिनांक 27.03.2026 का गहनता से अध्ययन किया। दावा स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.15 है0, 252 रकवा 1.14, 272 रकवा 0.09, है0 किता 3 रकवा 1.38 है0 ग्राम फरसो तहसील बयाना विभाजन उभयपक्षकारान/खातेदारान के मध्य तहसीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट क्रमांक/LR/26/715 दिनांक 27.03.2026 अनुसार किया जावे। तहसीलदार बयाना की उक्त कुरेजात रिपोर्ट निर्णय/डिक्री का जुज रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक......10/4/26......को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।-

(दीपक मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बयाना (भरतपुर)

डिकरी व मुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नम्बरः–250/21 जीसीएमएस नम्बर 2021/628

घमण्डी पुत्र मदनी जाति कोली निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर

—— वादी

बनाम

1. जलदेई पत्नि मोहन जाति कोली निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
2. आशा पुत्री मोहन
3. गुडडी पुत्री मोहन
4. बबीता पुत्री मोहन
5. मीना पुत्री मोहन
6. रामकुमार पुत्र मोहन
7. संजय पुत्र मोहन
8. चम्पा पुत्री दीपचंद
9. केला विधवा पत्नि रूपी
10. रामवीर पुत्र रूपी नाबालिग जरिये नैस्ट फैण्ड माता खुद प्रतिवादी संख्या 9 केला विधवा पत्नि रूपी जाति जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
11. नहनी पुत्री रूपी जाति जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना
12. मलूकी पुत्री रूपी जाति जाटव निवासीग्राम फरसो तहसील बयाना

जतियान जाटव निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना

—— मूल प्रतिवादीगण

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

—— शोभनार्थ प्रतिवादी

वाद डिवीजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनैन्सी एक्ट।

यह मुकदमा आज दिनांक......10/4/26......वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू...... मुझ........बहाजरी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री......................उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 248 रकवा 0.15 है0, 252 रकवा 1.14, 272 रकवा 0.09, है0 किता 3 रकवा 1.38 है0 ग्राम फरसो तहसील बयाना विभाजन उभयपक्षकारान/खातेदारान के मध्य तहसीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट क्रमांक/LR/26/715 दिनांक 27.03.2026 अनुसार किया जावे। तहसीलदार बयाना की उक्त कुरेजात रिपोर्ट निर्णय/डिक्री का जुज रहेगा।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

चीज......... X ....मुबलिग.....प्रतिवादीगण.....X.....बाबत
खर्चा................तक..............को अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक...10/4/26...को ...कदमा
की गई।

दस्तखत मय औ...

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे
अर्जीदावा वकालतनामा वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल	वकालतनामा वहज सबूत जबाबदावा/काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल
	00	00		00	00

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी ...
जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.